न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

अमित गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल निवासी अर्जुन नगर पतेरी तहसील रघुराज पुर सतना म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. श्रीमती कल्पना जैन पत्नी श्री राजीव कुमार जैन निवासी जयस्तम्भ चौक तहसील रघुराजपुर सतना म.प्र.
3. श्रीमती स्वेदश जैन पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जैन , निवासी पुष्पराज कालोनी तहसील रघुराजपुर सतना म.प्र.
4. श्री सार्थक जॉली पुत्र श्री हरेन्द्रजॉली (नावालिग) निवासी कृष्ण नगर तहसील रघुराजपुर सतना म.प्र.

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त अटरा तहसील उचेहरा जिला सतना द्वारा प्रकरण क्रमांक 111/अ– 12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 के विरूद्व निगरानी

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकारर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, आवेदक के नाम आराजी क्रमांक 30/1/क/2 रकवा 0.608 हे. (डेढ एकड) है जो कि ग्राम तिघरा मौजा तिघरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1865–दो / 16 जिला –सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–8–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त अटरा तहसील उचेहरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 111 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.4.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न उपलब्ध अभिलेखें का अध्ययन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन दल प्रभारी राजस्व निरीक्षक वृत्त परसमनिया तहसील उचेहरा द्वारा 10.4.16 को किया गया है। सीमांकन दल द्वारा ग्राम तिघरा की आराजी न0 30 / 1 / ख रकवा 0.610 है0 का सीमांकन दिनांक 7.4.16 को आवेदक प्रतिनिधि एवं सरहद्दी कृषकों की उपस्थिति में किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक अमित गोयल द्वारा पंचनामा एवं सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक वृत्त अटरा तहसील उचेहरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 111 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.4.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	